

फारम-VII-क  
कार्यलय नगर परिषद दानापुर निजामत  
भवन की योजना के अनुमोदन  
उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- 253 तिथि- 26.09.2016 के संदर्भ में

श्री निकेत राज एवं श्री रजत राज, पिता-स्व० रंजीत कुमार सिन्हा, पता-नया टोला, सगुना, दानापुर, पटना।

- (क) आवासीय भवन के निर्माण
- (ख) व्यवसायिक भवन के निर्माण
- (ग) भवन के पुनःनिर्माण
- (घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन
- (ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के 253. प्लॉट नं०- 1514, खाता नं०- 413, तौजी नं०-5404, थाना नं०- 21, मौजा- शहजादपुर, पता-थाना-दानापुर, जिला- पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं०-177.../16-17 है, जिसका निर्माण क्षेत्रफल 844.21 वर्ग मीटर एवं G+3 की स्वीकृति दी जाती है:-

- (1) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (2) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (3) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 211.00 वर्ग मीटर का पार्किंग एवं ग्रीन एरिया 10% का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (4) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 7.62 मी० चौड़ाई के वर्तमान पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (5) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (6) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधिन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधिनस्थ दानापुर नगर परिषद नगर निगम/नगर परिषद/पगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/आयोजना क्षेत्र में 0.0 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।

Balaji Dream Homes  
*Kuldev Kumar*  
Partner

(19) वर्णित नक्शे में दिखलाये गये पार्किंग एरिया में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।

(20) महायोजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के अनुसार ही निर्माण कार्य एवं भवन का उपयोग किया जायेगा।

(21) बाईलॉज के उप-विधि 2014 के अनुपालन में आप अपने प्रस्तावित भूखण्ड को 10% भाग में पेड लगाना सुनिश्चित करेंगे।


(22) भवन निर्माण के दौरान भूकम्प रोधी तकनीक का प्रावधान करना होगा। बहुमंजिले भवनों के भूकम्प से बचाव हेतु किये जाने वाले उपायों की सूची को निर्माण स्थल पर अनिवार्य रूप से डिसप्ले किया जाय।


(23) पब्लिक विल्डिंग में अंपंग व्यक्तियों (Person's with disabilities) के अवरोध रहित आवागमन का प्रावधान बाईलॉज के अनुरूप सुनिश्चित करना होगा।


(24) स्थल पर बनाये गये साईनबोर्ड पर प्राधिकार से पारित नक्शे की संख्या तथा पारित नक्शे कितने के लिए हैं का उल्लेख किया जाय।

(25) निर्माण स्थल पर प्राधिकार द्वारा स्वीकृत नक्शे कि एक प्रति अनिवार्य रूप से रखा जाय ताकि प्राधिकार के पदाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण के समय उनके स्वीकृत नक्शा उपलब्ध हो सके।

(26) रोड चौड़ीकरण हेतु छोड़ी गयी पट्टी में कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे एवं छोड़े गये भू-भाग को छोड़ कर चाहर दिवारी का निर्माण करेंगे।


  
कनीय अभियंता  
नगर परिषद दानापुर निजामत


  
सहायक अभियंता  
नगर परिषद दानापुर निजामत

  
नगर कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर परिषद दानापुर निजामत

ज्ञापांक:- ...177.../दिनांक:- ...30/12/16.....

प्रतिलिपि:- श्री निकेत राज एवं श्री रजत राज, पिता-स्व0 रंजीत कुमार सिन्हा, पता-नया टोला, सगुना, दानापुर, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

  
Kunda Kumar  
Partner

  
नगर कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर परिषद दानापुर निजामत